अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
विधि (संहिताकरण एवं प्रकाशन) विभाग

विषयः— केन्द्रीकृत वेबसाइट पर सभी विभागों के समस्त अधिनियम, नियम, विनियम, कानूनी अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों को अपलोड किये जाने बाबत्।

संदर्भः— समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 27.10.2017 एवं 07.11.2017।

केन्द्रीकृत वेबसाइट (centralized website) तैयार करने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में कार्यवाही पिछले कुछ समय से विचाराधीन चल रही है। इस कार्य को उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीरता से लिया जा रहा है। उक्त केन्द्रीकृत वेबसाइट पर सभी प्रशासनिक विभागों के अधिनियमों, नियमों, विनियमों, कानूनी अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि को प्रशासनिक विभागों द्वारा अपलोड किया जाना है।

इस संबंध में इस विभाग की अशा.टीप दिनांक 27.10.2017 और 07.11.2017 भिजवाते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को एक मीटिंग और दिनांक 02 एवं 03 नवम्बर, 2017 को एक वर्कशॉप आयोजित की गयी थी जिसमें विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ उनके तकनीकी सहायकों ने भाग लिया था। इसके उपरान्त विभिन्न विभागों को उपस्थित रहने का विकल्प देते हुए दिनांक 10.11.2017 को पुनः वर्कशॉप आयोजित की गयी थी और दिनांक 15.11.2017 तक सभी विभागों से विधियों संबंधी डाटा अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। निर्धारित अवधि में केन्द्रीकृत वेबसाइट पर विभागों का समस्त डाटा अपलोड कर दिये जाने की अपेक्षानुरूप डाटा अपलोड नहीं हो पाया है, उसकी तुलना में काफी कम डाटा अपलोड किया गया है।

अतः उक्त कार्य में गति लाने के लिए और केन्द्रीकृत वेबसाइट पर विधियों संबंधी डाटा अपलोड किये जाने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने के लिए यह अपेक्षित है कि ऐसे समस्त अधिनियम, नियम, विनियम, कानूनी अधिसूचनाओं आदि, जिनमें आपके अधीनस्थ विभाग प्रशासनिक विभाग हैं, से संबंधित संपूर्ण डाटा एक सप्ताह में केन्द्रीकृत वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 27.11.2017 तक सूचित करावें।

16/11

मुख्य सचिव

समस्त अति0 मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अशा.टीप क्रमांकः प. 15(3)विधि/संहिता/2017 पार्ट
जयपुर, दिनांकः 17 NOV 2017

- विधि विभाग की website पर अपलोड करने एवं समस्त विभागों को वाया ई-मेल भिजवाने हेतु प्रेषित है।

विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (विधायी प्रारूपण)
संयुक्त विधि परामर्शी
शासन सचिवालय, जयपुर
17/11/17

- Programmer (Law Deptt)